• सतर्कता नियम संग्रह (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988)
• अध्याय –1 संक्षिप्त नाम व विस्तार
• अध्याय – 2 विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति
• अध्याय – 3 अपराध एवं शक्तियॉ
• अध्याय – 4 इस अधिनियम के अधीन मामलों का अन्वेषण
• अध्याय – 9 अभियोजन के लिये पूर्व मन्जूरी और अन्य प्रकीर्ण उपबन्ध

सतर्कता नियम संग्रह
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
अध्याय 1

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर भारत के समस्त नागरिकों को भी लागू है।

2. परिभाषाएं– इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''निर्वाचन'' से संसद् या किसी विधान मण्डल, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य लोक प्राधिकरण के सदस्यों के चयन के प्रयोजन हेतु किसी विधि के अधीन, किसी भी माध्यम से, कराया गया निर्वाचन अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण– इस खण्ड में ''राज्य'' के अन्तर्गत किसी केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन या सरकार से सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कम्पनी भी है।

(ग) '' लोकसेवक'' से अभिप्रेत है–

(i) कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा या उसके वेतन पर है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिये सरकार से शुल्क या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है।

(ii) कोई व्यक्ति जो किसी प्राधिकरण की सेवा या उसके वेतन पर है।

(iii) कोई व्यक्ति जो किसी केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन या सरकार से सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण, निकाय या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कम्पनी की सेवा या उसके वेतन से है।

(iv) कोई न्यायाधीश, जिसके अधीन ऐसा कोई व्यक्ति है जो किन्हीं न्यायनिर्णयन कृत्यों का, चाहे स्वयं या किसी व्यक्ति के निकाय के सदस्य के रूप में, निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है।

(v) कोई व्यक्ति जो न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में किसी कर्त्तव्य का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया है जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया परिसमापक, रिसीवर का आयुक्त भी है।

(vi) कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी सक्षम लोक प्राधिकरण द्वारा कोई मामला या विषय, विनिश्चय या आख्या के लिए निर्देशित किया गया है।

(vii) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक सूची तेयार करने, प्रकाशित करने, संरक्षण करने या पुनरीक्षित करने अथवा निर्वाचन या निर्वाचन के भाग का संचालन करने के लिये सक्षम है।

(viii) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे पद पर स्थापित है, जिसके अधार पर वह किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित है

(ix) कोई व्यक्ति जो कृषि, उद्योग, व्यापार या बैंक कार्य में लगी हुई किसी ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदाधिकारी है। जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित

किसी निगम से या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय से या कम्पनी अधिनियम,1956 (1956 का 1)की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कम्पनी से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है या कर चुका है।

(x) कोई व्यक्ति जो किसी सेवा आयोग या बोर्ड का चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी या ऐसे आयोग या बोर्ड की किसी परीक्षा के संचालन हेतु या उसके द्वारा चयन करने के लिए नियुक्त की गई किसी चयन समिति का सदस्य है।

(xi) कोई व्यक्ति जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति, उसके किसी शासकीय निकाय का सदस्य, आचार्य, उपाचार्य, प्रध्यापक या कोई अन्य शिक्षक या कर्मचारी है, चाहे वह किसी भी पदभिधान से ज्ञात हो, और कोई व्यक्ति जिसकी सेवाओं का लाभ विश्वविद्यालय द्वारा या किसी अन्य लोक निकाय द्वारा परीक्षाओं के आयोजन या संचालन के सम्बन्ध में किया गया है।

(xii) कोई व्यक्ति जो किसी भी विधि से स्थापित किसी शैक्षिक, वैज्ञानिक, सामाजिक या अन्य संस्था का, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या कर चुकी है, पदाधिकारी या कर्मचारी है।

स्पष्टीकरण 1 – उपर्युक्त उपखण्डों में से किसी के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति लोक सेवक है चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हों या नहीं।

स्पष्टीकरण 2– '' लोक सेवक'' शब्द जहां भी आये हैं, वे उस प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के पद को वास्तव में धारण किये हों, चाहे उस पद को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो।

अध्याय 2
विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति

3. विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति–(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अपराधों के विचारण के लिए इतने विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी, जिन्हें ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे मामलों के समूह के लिए जो आवश्यक हो, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाएं अर्थात्

(क) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध और

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी को करने के लिए षड़यन्त्र करने या कारित करने का प्रयत्न या कोई दुष्प्रेरण।

(2) कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिये तब तक योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अधीन सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है।

4 विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय मामले– (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराध विशेष न्यायाधीश द्वारा ही विचारणीय होंगे।

(2) धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराध उस क्षेत्र के विशेष न्यायाधीश द्वारा जिसमें वह अपराध कारित किया गया है। या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायाधीश हैं वहां उनमें से ऐसे न्यायाधीश द्वारा जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा उस मामले के लिए नियुक्त किये गये विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय होगा।

(3) किसी मामले का विचारण करते समय विशेष न्यायाधीश धारा 3 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न, किसी ऐसे अन्य अपराध का भी विचारण कर सकता है जिससे अभियुंक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)के अधीन, उसी विचारण में आरोपित किया जा सकता है।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के हेतु हुए भी, विशेष न्यायाधीश, अपराध का विचारण यावत्शक्य, दिन प्रतिदिन के आधार पर करेगा।

5. प्रक्रिया और विशेष न्यायाधीश की शक्तियां– (1) विशेष न्यायाधीश अभियुक्त के विचारणार्थ प्रस्तुत किये बिना भी अपराध का संज्ञान कर सकता है, और वह अभियुक्त व्यक्ति के विचाररण में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में मजिस्ट्रेटों द्वारा वारण्ट के मामलों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(2) विशेष न्यायाधीश किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से जिसका प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी अपराध से संपृक्त होना या सम्पर्कित होना अनुमित है, विशेष न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति और प्रत्येक अन्य संपृक्त व्यक्ति का, चाहे वह उस अपराध के किये जाने में मुख्य रहा हो या दुष्प्रेरक रहा हो उसके अपराध से सम्बन्धित अपनी जानकारी की सभी परिस्थितियों को पूर्ण और सत्य प्रकट करने की शर्त पर क्षमा दान कर सकता है और इस प्रकार दी गई क्षमा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 308 की उपधारा (1) से (5) तक के प्रयोजनों के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 307 के अधीन प्रदत्त समझी जायेगी।

(3)उपधारा (1) या उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के अतिरिक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत नहीं हैं। विशेष न्यायाधीश के समझा कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबन्धों के प्रयोजन हेतु विशेष न्यायाधीश का न्यायालय सत्र न्यायालय समझा जायेगा और विशेष न्यायाधीश के समझा अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जायेगा।

(4) विशिष्टतया, और उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)की धारा 320 और धारा 475 के उपबन्ध, जहां तक हो सके, विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही के लिए लागू होंगे, और उक्त उपबन्धों के प्रयोजन हेतु विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेट समझा जायेगा।

(5) विशेष न्यायाधीश उसके द्वारा दोषसिद्ध व्यक्ति को कोई भी दण्डादेश दे सकता है जो उस अपराध को कारित करने के लिये जिसके लिये ऐसे व्यक्ति दोषसिद्ध है विधि द्वारा प्रधिकृत हैं।

(6) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का विचारण करते समय विशेष न्यायाधीश दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 (1944 का अध्यादेश संख्या 38) के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी सिविल शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा।

6 संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति–(1) जहां कोई विशेष न्यायाधीश धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट ऐसे अपराध का विचारण करता है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 12–क की उपधारा (1) निर्दिष्ट किसी विशेष आदेश या उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट आदेश के उल्लंघन के संदर्भ में किसी लोक सेवक द्वारा किया जाना अभिकथित है, वहां इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 260 में किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायाधीश अपराध का संक्षिप्त रूप में विचारण करेगा, और उक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 (जिसमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के उपबन्ध, यथाशक्य ऐसे विचारण को लागू होंगे।

परन्तु इस धारा के अन्तर्गत किसी संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि की दशा में विशेष न्यायाधीश के लिये एक वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास का दण्डादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा।

परन्तु यह और कि इस धारा के अन्तर्गत जब किसी संक्षिप्त विचारण के प्रारम्भ पर या उसके अनुक्रम में, विशष न्यायाधीश को यह आभास होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक के कारावास का दण्डादेश पारित करना पड़ सकता है या किसी अन्य कारण से, मामले का संक्षिप्त रूप से विचारण करना अवांछनीय है तब विशेष न्यायाधीश, पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् उस आशय का एक आदेश लेखबद्ध करेगा और उसके पश्चात् किसी साक्षी को जिसकी परीक्षा हो चुकी हो पुनः बुलाएगा और मजिस्ट्रेट द्वारा वारण्ट के मामलों के विचारण के लिये उक्त संहिता द्वारा विहित प्रकिया के अनुसार मामले की सुनवाई या पुनः सुनवाई या पुनः सुनवाई की कार्यवाही करेगा।

(2) इस अधिनियम या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण किये गये किसी मामले में, जिसमें विशेष न्यायाधीश एक मास से अनधिक के कारावास का और दो हजार रूपये से अनधिक के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित करता है, चाहे उक्त संहिता की धारा 452 के अन्तर्गत ऐसे दण्डादेश के अतिरिक्त कोई आदेश पारित किया जाता हो, या नहीं, किसी दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अभ्यावेदन नहीं किया जायेगा, किन्तु जहां विशेष न्यायाधीश द्वारा उपरोक्त परिसीमाओं से अधिक कोई दण्डादेश पारित किया जाता है। अभ्यावेदन किया जा सकेगा।

अध्याय 3
अपराध और शक्तियां

7. लोक सेवक द्वारा पदीय कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण लिया जाना– जो कोई लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का भी कोई परितोषण इस बात के निष्पादन हेतु या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक अपना कोई पदेन कार्य करे या करने से विरत रहे अथवा किसी व्यक्ति को अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह या अननुग्रह दिखाये या दिखाने से विरत रहे अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार या संसद् या किसी विधान मण्डल में या धारा 2 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या सरकारी कम्पनी में या किसी लोक सेवक के यहां, चाहे वह नामित हो या नहीं, किसी व्यक्ति का कोई उपकार या अपकार करे या करने का प्रयास करे, वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास से कम नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी और अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– (क) '' लोक सेवक होने की प्रत्याशा रखते हुये''

यदि कोई व्यक्ति जो किसी पद पर होने की प्रत्याशा न रखते हुये दूसरों को प्रवंचना से विश्वास में लेकर कि वह किसी पद पर होने वाला है और यह कि तब वह उनका उपकार करेगा, उससे परितोषण अभिप्राप्त करेगा तो वह छल करने का दोषी हो सकेगा किन्तु वह इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी नहीं है।

(**ख**) ''**परितोषण**'' **–**परितोषण'' शब्द मात्र धन सम्बन्धी परितोषण तक या उन परितोषण तक ही जो धन में आंके जाने योग्य हैं, निर्बन्धित नहीं है।

(ग) ''वैध पारिश्रमिक''– ''वैध पारिश्रमिक'' शब्द मात्र उस पारिश्रमिक तक ही निर्बन्धित नहीं है जिसकी मांग कोई लोक सेवक विधि पूर्ण रूप से कर सकता है, किन्तु इसके अन्तर्गत वह समस्त पारिश्रमिक आता है जिसको प्रतिग्रहीत करने के लिए उसे सरकार या संगठन द्वारा, जिसकी सेवा में वह है, उसे अनुज्ञा दी गई है।

(घ) ''करने के लिए हेतुक या इनाम'' – वह व्यक्ति जो वह कार्य करने के लिए हेतुक या इनाम के रूप में, जिसे करना आशयित नहीं है या जिसे करने की स्थिति में वह नहीं या जो उसने नहीं किया है, परितोषण प्राप्त करता है, इस पद के अन्तर्गत आता है।

(ड.) जहां कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को यह अपेक्षित विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है कि सरकार में उसके प्रभाव से उस व्यक्ति को कोई हक अभिप्राप्त हुआ है। और इस प्रकार उस व्यक्ति को इस सेवा के लिये पुरस्कार के रूप में लोक सेवक को धन या कोई अन्य परितोषण देने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो यह इस धारा के अधीन लोक सेवक द्वारा किया गया अपराध होगा।

8. लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा प्रभाव डालने के लिए परितोषण का लेना– जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई भी परितोषण किसी लोक सेवक को, चाहे वह नामित हो या नहीं, भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा इस बात के लिए उत्प्रेरित करने के लिए हेतुक या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति से प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयास करेगा कि वह लोक सेवक कोई पदेन कार्य करे या करने से विरत रहे अथवा किसी व्यक्ति को अपने पदेन कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह या अननुग्रह करें अथवा केन्द्रीय

सरकार या किसी राज्य में या संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल में या धारा 2 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकरण, निगम या सरकारी कम्पनी में या किसी लोक सेवक के यहां चाहे वह नामित हो या नहीं किसी व्यक्ति का कोई उपकार या अपकार करे या करने का प्रयास करें, वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास से कम नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जायेगा।

9. लोक सेवक पर वैयक्तिक प्रभाव डालने के लिए परितोषण का लेना– जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिये किसी प्रकार का कोई भी परितोषण किसी लोक सेवक को चाहे वह नामित हो या नहीं, अपने वैयक्तिक प्रभाव के प्रयोग द्वारा इस बात के लिए उत्प्रेरित करने के लिये हेतुक या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति से प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक के पदेन कार्य करने या करने से विरत रहे अथवा किसी व्यक्ति को ऐसे लोक सेवक के पदेन कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह या अननुग्रह करें अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार या संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल में या धारा 2 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या सरकारी कम्पनी में या किसी लोक सेवक के यहां चाहे वह नामित हो या नहीं, किसी व्यक्ति का कोई उपकार या अपकार करे या करने का प्रयास करे, वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास से कम नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।

10. लोक सेवक द्वारा धारा 8 या धारा 9 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिये दण्ड–

जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए जिसके बारे में उन अपराधों में से कोई अपराध कारित किया जाये, जो धारा 8 या धारा 9 में परिभाषित है, उस अपराध का दुष्प्रेरण करेगा चाहे वह अपराध दुष्प्रेरण के फलस्वरूप किया गया हो या नहीं, वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास से कम नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और अर्थदण्ड से भी, दण्डित किया जायेगा।

11. लोक सेवक, जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कारबार से सम्बद्ध व्यक्ति से, प्रतिफल के बिना मूल्यवान वस्तु अभिप्राप्त करता है–जो कोई लोक सेवक होते हुये अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये, किसी व्यक्ति से यह जानते हुये कि ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही या कारबार से वह व्यक्ति संपृक्त रह चुका है, या है, उसका संपृक्त होना सम्भावित है, या स्वयं उसके या किसी ऐसे लोक सेवक के, जिसका वह अधीनस्थ है, पदेन कृत्यों से वह व्यक्ति से यह जानते हुये कि वह इस प्रकार संपृक्त व्यक्ति से हितबद्ध है रिश्तेदारी रखता है, किसी मूल्यवान वस्तु को किसी प्रतिफल के बिना, या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसे वह जानता है, कि अपर्याप्त है, प्रतिगृहीत करेगा या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास से कम नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और अर्थदण्ड से भी, दण्डित किया जायेगा।

12. धारा 7 या धारा 11 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दण्ड– जो कोई धारा 7 या धारा 11 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध उस दुष्प्रेरण के फलस्वरूप किया गया हो या नहीं, वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास से कम नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी और अर्थदण्ड से भी , दण्डित किया जायेगा।

13. लोक सेवक द्वारा आपराधिक अनाचार–(1) कोई लोक सेवक आपराधिक अनाचार का अपराध करने वाला कहा जाता है–

(क) यदि वह अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण ऐसे हेतुक या इनाम के रूप में, जैसा धारा 7 में वर्णित है किसी व्यक्ति से

बहुधा प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने के लिये सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयास करता है, या

(ख) यदि वह अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई मूल्यवान वस्तु प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका अपर्याप्त होना वह जानता है किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे कि अपने द्वारा या किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा जिसके वह अधीनस्थ है, की गई या की जा सकने वाली किसी कार्यवाही या कारोबार से संबंद्ध रहा होगा, होना या हो सकना वह जानता है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका ऐसे संबंद्ध व्यक्ति से हितबद्ध या उससे नातेदारी होना वह जानता है, बहुधा अभिप्राप्त या प्रतिगृहीत करता है या प्रतिगृहीत करने के लिये सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयास करता है, या

(ग) यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई या स्व नियन्त्रणाधीन किसी सम्पत्ति का अपने उपयोग के लिए अवैध तरीके से या कपटपूर्वक दुर्विनियोग करता है या उसे अन्यथा सम्परिवर्तित कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, या

(घ) यदि वह–

(i) भ्रष्ट या अवैध साधनों से अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई मूल्यवान वस्तु या धन सम्बन्धी लाभ अभिप्राप्त करना है, या

(ii) लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का अन्यथा दुरूपयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन सम्बन्धी लाभ अभिप्राप्त करता है, या

(iii) लोक सेवक के रूप में पद धारण करके किसी व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या धन सम्बन्धी लाभ बिना किसी लोक हित के अभिप्राप्त करता है, या

(ड.) यदि उसके या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसे धन सम्बन्धी साधन तथा ऐसी सम्पत्ति है जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों की अननुपातिक है अथवा उसके पद की कालावधि के दौरान किसी समय कब्जे में रही है जिसका कि वह लोक सेवक संतोषप्रद लेखा–जोखा नहीं दे सकता।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए '' आय के ज्ञात स्रोत'' से अभिप्रेत है किसी विधिपूर्ण स्रोत से प्राप्त आय, जिस प्राप्ति की सूचना, लोक सेवक की तत्समय लागू किसी विधि नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अनुसार दे दी गई है।

(2) कोई लोक सेवक जो आपराधिक अनाचार करेगा इतनी अवधि के लिए जो एक वर्ष से कम की न होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से दण्डनीय होगा और अर्थदण्ड का भी दायी होगा।

14. धारा 6, धारा 9 और धारा 12 के अधीन अभ्यासतः अपराध करना– जो कोई–

(क) धारा 8 या धारा 9 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभ्यासतः करेगा, या

(ख) धारा 12 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभ्यासतः करेगा,

वह इतनी अवधि के लिए जो दो वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से, और अर्थदण्ड से भी, दण्डनीय होगा।

16. अर्थदण्ड निश्चित करने के लिये ध्यान में रखी जाने वाली बातें– अर्थदण्ड की रकम निश्चित करने में न्यायालय, वहां जहां अर्थदण्ड का दण्ड धारा 13 की उपधारा (2) या धारा 14 के अधीन अधिरोपित किया गया है, उस रकम या सम्पत्ति के मूल्य का यदि कोई हो, जिसे अभियुक्त व्यक्ति ने अपराध करके अभिप्राप्त किया हो अथवा वहां जहां दोषसिद्धि धारा 13 की उपराधा (1) के खण्ड (ड.) में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिये है, उस खण्ड में निर्दिष्ट धन सम्बन्धी साधन या सम्पत्ति का जिसका कि अभियुक्त व्यक्ति संतोषप्रद लेख–जोखा देने में असमर्थ है, ध्यान रखेगा।

अध्याय 4
इस अधिनियम के अधीन मामलों का अन्वेषण

17. अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के स्तर से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारीः

(क) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दशा में, पुलिस निरीक्षक,

(ख) मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद के महानगरीय क्षेत्रों में, और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस रूप में अधिसूचित किसी अन्य क्षेत्र में, सहायक पुलिस आयुक्त,

(ग) अन्यत्र उपपुलिस अधीक्षक, या समतुल्य स्तर का पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण, यथास्थिति, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग में मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर अथवा उसके लिए गिरफ्तारी वारण्ट के बिना कर सकेगा।

बैंककार बहियों के निरीक्षण की शक्ति– यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा पुलिस अधिकारी के पास किसी ऐसे अपराध के कारित किये जाने का संदेह करने का कारण है जिसका अन्वेषण करने के लिए वह धारा 17 के अधीन सक्षम है और वह समझता है कि ऐसे अपराध का अन्वेषण या जांच करने के लिए किन्हीं बैंककार बहियों का निरीक्षण करना आवश्यक है तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी वह किन्हीं बैंककार बहियों का वहां तक निरीक्षण कर सकेगा जहां तक वे उस व्यक्ति के, जिसके द्वारा ऐसे अपराध किये जाने का सन्देह या किसी अन्य व्यक्ति के, जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति के निमित्त धन ग्रहण किये जाने के संन्देह है, लेखाओं से सम्बन्धित हैं, और उसमें से संगत प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां ले सकेगा या लिवा सकेगा तथा सम्बन्धित बैंक उप पुलिस अधिकारी को, इस धारा के अन्तर्गत उसकी शक्तियों के प्रयोग में, सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध होगाः

स्पष्टीकरण– इस धारा में 'बैंक'' और '' बैंककार बही'' पदो ंके वे ही अर्थ होंगे जो बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1981(1891 का 18) में है।

अध्याय 9
अभियोजन के लिये पूर्व मन्जूरी और अन्य प्रकीर्ण उपबन्ध

19. अभियोजन के लिये पूर्व मन्जूरी का आवश्यक होना–(1) कोई न्यायालय धारा 7, धारा 10, धारा 11, धारा 13 और धारा 15 के अन्तर्गत दण्डनीय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान, जिसके सन्दर्भ में यह अधिकथित है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है, निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बगैर नहीं करेगाः

(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो संघ के मामलों के सम्बन्ध में, नियोजित है और जो अपने पद से केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाये जाने के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता है, केन्द्र सरकारः

(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो राज्य के मामलों के सम्बन्ध में नियोजित है और जो अपने पद से राज्य सरकार द्वारा या उसकी मन्जूरी से हटाये जाने के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता है, केन्द्र सरकार,

(ग) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, उसे पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी।

(2) जहां किसी भी कारणवश इस सन्दर्भ में शंका उत्पन्न हो जाये कि उपधारा (1) के अन्तर्गत अपेक्षित पूर्व स्वीकृत केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी में से किसके द्वारा दी जानी चाहिये वहां ऐसी स्वीकृति उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा दी जायेगी जो लोक सेवक को उसके पद से उस समय हटाने के लिए सक्षम था जिस समय अपराध का किया जाना अभिकथित है।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी–

(क) विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित कोई निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश किसी न्यायालय द्वारा अभ्यावेदन, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण में, अभियोजन के लिये उपधारा (1) अधीन अपेक्षित स्वीकृति के न होने या उसमें कोई त्रुटि, लोप या अनियमितता होने के आधार पर तब तक नहीं उल्टा या परिवर्तित किया जायेगा जब तक कि न्यायालय की राय में उसके फलस्वरूप वास्तव में कोई अन्याय हुआ है।

(ख) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को किसी प्राधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति में किसी त्रुटि लोप या अनियमितता के आधार पर तब तक नहीं रोकेगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसे त्रुटि, लोप या अनियमितता अन्याय हुआ है।

(ग) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अन्य आधार पर कार्यवाहियां नहीं रोकेगा और कोई न्यायालय किसी जांच विचारण, अभ्यावेदन या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अन्तर्वर्ती आदेश के सन्दर्भ में पुनरीक्षण की शक्तियां का प्रयोग नहीं करेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन यह अवधारित करने में कि ऐसी स्वीकृति के न होने से या उसमें किसी त्रृटि, लोप या अनियमितता के होने से कोई अन्याय हुआ या परिणाम हुआ है या नहीं, न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि क्या कार्यवाहियों के किसी पूर्वतर प्रक्रम पर आक्षेप किया जा सकता था और किया जाना चाहिए था या नहीं।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) त्रुटि के अन्तर्गत मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की सक्षमता भी है।

(ख) अभियोजन के लिए अपेक्षित स्वीकृति के अन्तर्गत इस अपेक्षा के प्रति निर्देश भी हैं कि अभियोजन किसी विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की ओर से, या किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की स्वीकृति से होगा या समतुल्य प्रकृति की कोई अपेक्षा भी है।

उत्तर प्रदेश संशोधन

भ्रष्टाचार निवारण (उत्तर प्रदेश) (संशोधन) अधिनियम, 1991 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 4, 1991) की धारा 2 द्वारा धारा 19 की उपधारा (1) में खण्ड (ग) के पश्चात् निम्न खण्ड

(घ) अन्तःस्थापित किया गया–

''(घ) खण्ड (ग) में अन्तर्निहित किसी वस्तु के होते हुए भी, राज्य सरकार, जहां वह ऐसा करना समीचीन समझती है, खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्राधिकारी से, इसके लिए विर्निदिष्ट अवधि के अन्तर्गत पूर्व मंजूरी देने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि उक्त अधिकारी ऐसी अवधि के अन्तर्गत पूर्व मंजूरी देने में असफल रहता है, तो पूर्व मंजूरी राज्य सरकार द्वारा दी जा सकेगी।

स्पष्टीकरण– (1) इस खण्ड के प्रयोजन के लिए '' प्राधिकारी'' केन्द्र सरकार के नियन्त्रण के अधीन किसी प्राधिकारी को शामिल नहीं करता।

(2) सन्देह को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार की शक्ति उन मामलों में भी प्रयुक्त की जा सकेगी जहां खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहले ही पूर्व मंजूरी देने से इन्कार कर दिया है।

20. जहां लोक सेवक वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण प्रतिगृहीत करता है, वहां उपधारणा– (1) जहां धारा 7 या धारा 11 या धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध के किसी विचारण में यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से (वैध पारिश्रमिक से भिन्न) कोई परितोषण या कोई मूल्यवान चीज अपने लिए या किसी व्यक्ति के लिए प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त की है अथवा प्रतिग्रहण हेतु सहमति दी है या अभिप्राप्त करने का प्रयास किया है, वहां जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये यह उपधारणा की जायेगी कि उसने, यथास्थिति, इस परितोषण या मूल्यवान चीज को ऐसे हेतुक या पुरस्कार के रूप में जैसा धारा 7 में वर्णित है, या यथास्थिति, प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका अपर्याप्त होना वह जानता है, प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त किया है अथवा प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत हुआ है या अभिप्राप्त करने का प्रयास किया है।

(2) जहां धारा 12 के अधीन या धारा 14 के खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध के किसी विचारण में यह सिद्ध कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने (वैध पारिश्रमिक से भिन्न) कोई परितोषण या कोई मूल्यवान वस्तु दी है या देने का प्रस्ताव किया है। वहां जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये, यह उपधारणा की जायेगी कि उसने, यथास्थिति, उस परितोषण या मूल्यवान वस्तु को ऐसे हेतुक या इनाम के रूप में, जैसा धारा 7 में वर्णित है या यथास्थिति, प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिये, जिसका अपर्याप्त होना वह जानता हो, दिया है या देने का प्रस्ताव किया है या देने का प्रयास किया है।

(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी न्यायालय उक्त उपधाराओं में से किसी में निर्दिष्ट उपधारणा को नकार सकेगा यदि पूर्वोक्त परितोषण

या वस्तु, उसकी राय में इतनी तुच्छ है कि भ्रष्टाचार का कोई निष्कर्ष उचित रूप से नहीं निकाला जा सकता।

21. अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना– इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध से आरोपित को व्यक्ति प्रतिरक्षा पाने के लिए सक्षम साक्षी होगा और वह अपने विरूद्ध या उसी विचारण में अपने साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरूद्ध किये गये आरोपों को सिद्ध करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकेगा

परन्तु–

(क) साक्षी के रूप में वह अपनी प्रार्थना के अतिरिक्त आहूत नहीं किया जायेगा,

(ख) साक्ष्य देने में उसकी असफलता पर अभियोजन पक्ष कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा अथवा इससे उसके या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई उपधारणा उत्पन्न नहीं होगी।

(ग) कोई ऐसा प्रश्न जिसकी प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करने की है कि जिस अपराध का वह आरोपी है उससे भिन्न, अपराध उसने किया है या वह उसके लिए दोषसिद्ध हो चुका है, या वह बुरे चरित्र का है, उससे उस दशा में के सिवाय न पूछा जायेगा या पूछे जाने पर उसका उत्तर देने की उससे अपेक्षा नहीं की जायेगी, जिसमें–

(i) इस बात का प्रमाण कि उसने ऐसा अपराध किया है या उसके लिए वह सिद्धदोष हो चुका है, यह दर्शित करने के लिए ग्राह्य साक्ष्य है कि वह उस अपराध का दोषी है, जिसका आरोप उस पर लगाया गया हैः या

(ii) उसने स्वयं या अपने वकील द्वारा अभियोजन पक्ष के किसी साक्षी से अपना अच्छा चरित्र सिद्ध करने की दृष्टि से कोई प्रश्न पूछा है या अपने अच्छे चरित्र का साक्ष्य

दिया है अथवा प्रतिरक्षा का स्वरूप या संचालन इस प्रकार का है कि उसमें अभियोजक से या अभियोजन पक्ष के लिए किसी साक्षी के चरित्र पर लांछन अन्तर्ग्रस्त है।

(iii) उसने उसी अपराध से आरोपित किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध साक्ष्य दिया है।

22. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का कुछ उपान्तरणों के अध्याधीन लागू होना– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध, इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध के सन्दर्भ में किसी कार्यवाही पर लागू होने में ऐसे प्रभावी होंगे, जैसे–

(क) धारा 243 की उपधारा (1) में '' तब अभियुक्त से अपेक्षा की जायेगी'' शब्दों के स्थान पर ''तब अभियुक्त से अपेक्षा की जायेगी कि वह तुरन्त या इतने समय के भीतर जितना न्यायालय अनुज्ञात करे, उन व्यक्तियों की (यदि कोई हों) जिनकी वह अपने साक्षियों के रूप में परीक्षा करना चाहता है और उन दस्तावेजों की (यदि काई हों) जिन पर वह निर्भर करना चाहता है, एक लिखित सूची दे, और तब उससे अपेक्षा की जायेगी '' शब्द प्रतिस्थापित कर दिये गये,

(ख) धारा 309 की उपधारा (1) में तीसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नांकित परन्तुक अन्तःस्थापित किया गया था, अर्थात्ः

''परन्तु यह और कि कार्यवाही मात्र इस आधार पर कि कार्यवाही के एक पक्षकार द्वारा धारा 307 के अधीन आवेदन किया गया है, स्थगित या मुल्तवी नहीं की जायेगी,

(ग) धारा 317 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की गई अर्थात्

''(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी न्यायाधीश यदि वह ठीक समझता है तो ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगेः अभियुक्त या उसके वकील की अनुपस्थिति में जांच या विचारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है और किसी साक्षी का साक्ष्य, प्रतिपरीक्षा के लिये साक्षी को पुनः बुलाने के अभियुक्त के अधिकार के अन्तर्गत रहते हुए, लेखबद्ध कर सकता है।''

(घ) धारा 397 की उपधारा (1) में स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया गया है, अर्थात्ः

'' परन्तु जहां किसी न्यायालय द्वारा इस उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ऐसी कार्यवाहियों के किसी एक पक्षकार द्वारा किये गये आवेदन पर किया जाता है, वहां वह न्यायालय कार्यवाही के अभिलेख को मामूली तौर पर–

(क) दूसरे पक्षकार को इस बात का कारण दर्शित करने का अवसर दिये बिना नहीं मंगायेगा कि अभिलेख क्यों न मंगाया जाए, या

(ख) उस दशा में नहीं मंगायेगा जिसमें उसका यह समाधान हो जाता है कि कार्यवाही के अभिलेख की परीक्षा प्रमाणित प्रतियां से की जा सकती है।''

23 धारा 13(1)(ग) के अधीन अपराध के सम्बन्ध में आरोप की विशिष्टयॉ– दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी जब किसी अपराधी पर धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन किसी बात का आरोप है तब उसे आरोप में उस सम्पत्ति को, जिसके सम्बन्ध में अपराध का किया जाना अभिकथित है और उन तारीखों को विनिर्दिष्ट किये बगैर, वर्णित करना पर्याप्त होगा और इस प्रकार विरचित आरोप उक्त संहिता की धारा 219 के अर्थ में एक अपराध का आरोप समझा जायेगा।

परन्तु ऐसे दिनांक में से प्रथम और अन्तिम दिनांक के बीच का समय एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

24. रिश्वत देने वाले का उसके कथन पर अभियोजित न होना– तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी धारा 7 से धारा 11 या धारा 13 या धारा 15 के अधीन किसी अपराध के लिये किसी लोक सेवक के विरूद्ध किसी कार्यवाही में किसी व्यक्ति के इस कथन से कि उसने उस लोक सेवक को (वैध पारिश्रमिक से भिन्न) कोई परितोषण या

कोई मूल्यवान वस्तु देने का प्रस्ताव किया था या प्रस्ताव करने के लिए सहमति दी थी, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध धारा 12 के अधीन कोई अभियोजन नहीं हो सकेगा।

25. सेना, नौसेना और वायुसेना सम्बन्धी या अन्य विधियों का प्रभावित नहीं होना–(1) इस अधिनियम की कोई बात सेना अधिनियम , 1950 (1950 का 45), वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62), सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47), तटरक्षक अधिनियम, 1978(1978 का 30) और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980(1980 का 65) के अधीन किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारिता को, या उसको लागू होने वाली प्रक्रिया को प्रभावित .नहीं करेगी।

(2) शंकाओं के निवारण के लिए घोषित किया जाता है कि ऐसी विधि के प्रयोजनार्थ जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, विशेष न्यायाधीश का न्यायालय सामान्य दण्डिक न्याय का न्यायालय समझा जायेगा।

26. 1952 के अधिनियम सं0 46 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीशों का इस अधिनियम के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश होना– किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों के लिए दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1952 के अधीन नियुक्त किया गया और इस अधिनियम के प्रारम्भ पर पद 3 के अधीन नियुक्त किया गया विशेष न्यायाधीश समझा जायेगा और ऐसे प्रारम्भ से ही प्रत्येंक ऐसा न्यायाधीश तदनुरूप ऐसे प्रारम्भ पर उसके समझ लम्बित सब कार्यवाही का समाधान, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार करता रहेगा।

27. अभ्यावेदन और पुनरीक्षण– इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उच्च न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2) के अधीन उच्च न्यायालय को पदत्त अभ्यावेदन और पुनरीक्षण की सभी शक्तियों का प्रयोग जहां तक वे लागू हो सकती है, कर सकता है, मानों विशेष न्यायाधीश का न्यायालय उच्च न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला सत्र न्यायालय है।

28. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना– इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसका अल्पीकरण करेंगे, और इसमें की कोई बात किसी लोक सेवक को किसी ऐसी कार्यवाही से छूट नहीं देगी जो, इस अधिनियम के सिवाय, उसके विरूद्ध की जा सकती है।

29. 1944 के अध्यादेश सं0 38 का संशोधन– दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1944 में,–

(क) धारा 2 की उपधारा (1), धारा 9 की उपधारा (1), धारा 10 के खण्ड (क) और धारा 11 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) में '' राज्य सरकार'' शब्दों के स्थान पर, जहां भी वे आते हैं, यथास्थिति, '' राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार'' शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(ख) धारा 10 के खण्ड (क) में ''तीन मास'' शब्दों के स्थान पर '' एक वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(ग) अनुसूची के–

(i) पैरा 1 का लोप कर दिया जाएगा,

(ii) पैरा 2 और पैरा 4 में–

(क) '' स्थानीय प्राधिकरण'' शब्दों के पश्चात्'' किसी केन्द्रीय , प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम, या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन या उसे सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय, या कम्पनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित कोई सरकारी कम्पनी या ऐसे निगम, प्राधिकरण या निकाय, या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)की धारा 617 में यथापरिभाषित कोई सरकारी कम्पनी या ऐसे निगम, प्राधिकरण, निकाय या सरकारी कम्पनी द्वारा सहायता प्राप्त कोई सोसाईटी''शब्द और अंक अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

(ख) '' या प्राधिकरण'' शब्दों के पश्चात् '' या निगम या निकाय या सरकारी कम्पनी या सोसाइटी'' शब्द अन्तः स्थापित किये जायेंगे।

(3) पैरा 4–क के स्थान परः निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा अर्थातः '' 4–क भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 के अधीन दण्डनीय अपराध।''

(4) पैरा 8 में '' मद 2, मद 3,और मद 4 '' शब्दों और अंकों के स्थान पर '' मद 2, मद 3 मद 4 और मद 4–क'' के शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे।

30. निरसन और व्यावृत्ति– (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1897 का 2) और दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952,(1952 का 46)निरसित किये गये।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, किन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के लागू होने पर विपरीत प्रभाव डाले बिना इस प्रकार निरसित अधिनियमों के अधीन या उनके अनुसरण में की गई या किये जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कोई कार्यवाही जहां तक कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों से अंसंगत नहीं है।, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अन्तर्गत या उनके अनुकरण में की गई बात या कार्यवाही समझी जाएगी।

31. 1860 के अधिनियम सं0 45 की कुछ धाराओं का लोप– भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 से धारा 165 –क तक का (जिसमें ये दोनों धारायें सम्मिलित हैं) लोप किया जाएगा, और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 ऐसे लोप की लागू होगी, मानों उक्त धाराओं का किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा लोप किया गया हो।

———————